रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 428] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 19, 2018/कार्तिक 28, 1940
No. 428] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 19, 2018/KARTIKA 28, 1940

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2018

सं. एन—12/13/1/2016—योज एवं वि. – जबकि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 में और संशोधन करने के कतिपय मसौदा विनियम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप–धारा (1) के अंतर्गत यथा अपेक्षित भारत के राजपत्र के भाग – III – खंड–4 में दिनांक 13 अगस्त, 2018 जिनमे उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति तक, इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से, आपत्तियॉ और सुझाव आमंत्रित किये गये थे।

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियां 13 अगस्त, 2018 से सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध करा दी गयी थीं;

और प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों से कोई भी आपत्तियॉ तथा सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

अतः अब कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियमावली, 1950 में पुनः संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात् :–

1. इन विनियमों को कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) संशोधन विनियमावली, 2018 कहा जाएगा।

2. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण) विनियमावली, 1950 में विनियम 31 ग के परन्तुक के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए:–

बशर्ते निगम उस कंपनी के संबंध में जिसके संकल्प योजना को दिवालिया तथा दिवालियापन कोड, 2016 (Insolvency & Bankruptcy Code, 2016) के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायधिकरण द्वारा स्वीकृत किया जा चुका हो, के मामले में –

(क) अन्य मामलों में, गुण दोष के आधार पर लगाए गए या लगाए जाने वाले हर्जाने से 50 प्रतिशत तक मुक्त कर सकेगा।

(ख) गंभीर मामलों में अपवादस्वरूप लगाए गए या लगाए जाने वाले हर्जाने से पूर्णतः या आंशिक रूप से मुक्त कर सकेगा।

एस.रविचन्द्रन, अपर आयुक्त (यो.व.वि.)

[विज्ञापन.-III/4/असा./348/18]

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October,2018

No. **N-12/13/1/2016-P&D** – Whereas draft regulation further to amend the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 was published as required under sub-section (1) of section 97 of the Employees' State Insurance Act,1948 (34 of 1948), in the Gazette of India, Part-III – Section – 4, dated the 13th August, 2018 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of Thirty days from the date on which this notification was published, are made available to the public:—

And whereas, the said Gazette were made available to the public on 13.08.2018;

And no objections and suggestions were received from any of the persons likely to be affected ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 97 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation, hereby makes the following Regulations further to amend the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, namely;

1. These Regulations may be called Employees' State Insurance (General) Amendment Regulations, 2018.
2. In the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950. The Proviso to Regulation 31C shall be replaced as under :—

Provided that the Corporation in relation to a company in respect of which a Resolution Plan has been sanctioned by the National Company Law Tribunal under the Insolvency & Bankruptcy Code, 2016 may :

(a) Waive up to 50 percent of the damages levied or leviable depending upon merits of the case.

(b)In exceptional hard cases, waive either totally or partially the damages levied or leviable.

S. RAVICHANDRAN, Addl. Commissioner (P&D)
[ADVT.-III/4/Exty:/348/18]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.11.21 16:41:55 +05'30'